

कार्य का नाम:- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत रुड़की-लक्सर-बालावाली राज्य मार्ग संख्या 26 के कि०मी० 01 से 19 तक मार्ग चौड़ीकरण में वृक्षों के पातन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई- 18.300 कि०मी०।

रुड़की-लक्सर-बालावाली मोटर मार्ग एक महत्वपूर्ण राज्य मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 26) है, जोकि रुड़की में कैंन्ट के अधीन मार्ग से होते हुए ढंढेरा रेलवे फाटक से प्रारम्भ होकर पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 334 ए के कि०मी० 29 पर मिलता है। इस मार्ग पर इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन सहित अन्य कई बड़ी कम्पनियाँ के प्रतिष्ठान स्थित है। जिसके कारण इस मार्ग पर दिन-रात हल्के एवं भारी वाहनों का यातायात का आवागमन अत्याधिक बना रहता है। किन्तु मार्ग की सतह अत्यन्त जीर्णशीर्ण अवस्था में होने एवं मार्ग की पटरियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण यह यातायात के लिए असुरक्षित हो गया था। अतः मार्ग के आर्थिक एवं सामाजिक महत्ता के कारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- फा०स० एन०एन०-28014/01/2014/यू०आर०/सी०आर०एफ०/एन०एच०-02 (जोन-1) दिनांक 06.03.2019 एवं उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-03 के शासनादेश संख्या- 1309(1)/III(3)/2020-32(C.R.F)/2019 दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 द्वारा इसके चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के साथ-साथ आबादी वाले भाग में पक्की नाली एवं पटरी निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। विगत वर्षों में भू-क्षरण इत्यादि के कारण मार्ग के किनारे में कटाव हो जाने से मार्ग की पटरी कटी-फटी एवं अनियमित हो गयी है, जिससे मार्ग पर सुरक्षित यातायात हेतु मार्ग के दोनों ओर पटरी निर्माण एवं आबादी वाले भाग में जल भराव की समस्या के समाधान हेतु पक्की नाली का निर्माण किया जाना आवश्यक है। जिस हेतु कार्य की महत्ता एवं जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत व्यापक जनहित में विभागीय ROW में आने वाले प्रभावित वृक्षों का पातन किया जाना नितान्त आवश्यक है। विभागीय ROW में आ रहे वृक्षों के पातन हेतु वन विभाग से अनुरोध किये जाने पर उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के कार्यालय पत्रांक 1569/2-3 हरिद्वार दिनांक 18.09.2021 द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रस्तावित मार्ग के चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले समस्त वृक्ष संरक्षित वन घोषित है एवं वन विभाग की राजकीय सम्पत्ति है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है, कि शासनादेश संख्या 115/XVI/331-50 दिनांक 10.02.1960 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्ग की पटरी वाला भाग औसतन 0.40 है० प्रति किमी० भूमि को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया था। अतः मार्ग निर्माण से प्रभावित वृक्षों के पातन हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्ग की पटरियों में वृक्षारोपण हेतु घोषित संरक्षित वन क्षेत्र की अवधि 30 वर्ष थी। चूंकि इसका नवीनीकरण नहीं हुआ है एवं इस भूमि में आ रहे वृक्षों को मार्ग में सुरक्षित यातायात एवं नाला निर्माण हेतु पातन किये जाने की आवश्यकता है।

अतः मार्ग के दोनों ओर पटरी एवं नाली निर्माण हेतु मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों के पातन के लिए यह वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून

3.2.2022
अधिशायी अभियन्ता
रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून।